



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14, 2006/पौष 24, 1927

No. 38]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 2006/PAUSA 24, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2006

का. आ. 42(अ).—पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) संशोधन नियम, 2005 निम्नलिखित प्रारूप जिसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उप-धारा (1) उपधारा (1 क) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पशुओं पर प्रयोग नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन संबंधी समिति प्रारूप को बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने को संभावना है यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र की इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दिए जाने पर, इसके प्रकाशन के तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के उपरांत विचार किया जाएगा,

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में कोई सुझाव या आक्षेप भेजने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य हेतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उक्त समिति के विचारार्थ, सदस्य सचिव, पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी समिति, पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 8वां तल, जीवन प्रकाश भवन, 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेज सकता है।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में विद्यमान खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ड.) "प्रयोग" से जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, मानव जातीय, भौतिक या रासायनिक प्रकृति के ज्ञान के अर्जन के लिए पशुओं के उपयोग से अतर्वलित कोई कार्यक्रम/परियोजना अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत प्रतिजन और रोग प्रतिकारक जैसे अभिकर्मकों के उत्पादन, नैत्य नैदानिक, परीक्षण क्रियाकलाप और ट्रांसजैनेक भंडारों की, स्थापना में पशु का उपयोग भी है, जो जीवन की सुरक्षा को उसे दीर्घ बनाने के लिए या यातना न्यून करने या मनुष्यों या पशुओं को लगने वाले किसी रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी है।

3 उक्त नियम के नियम 9 में:-

(1) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख ख) जातिनृत्तीय स्तर पर निम्नतम पशु जो किसी प्रयोगात्मक प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिक रूप से वैध परिणाम दे सकें, पर पहले विचार किया जाना चाहिए और प्रयोग को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए जिससे कि कम से कम पशुओं का उपयोग करते हुए सांख्यिकीय रूप से 95% तक विश्वसनीय वैध परिणाम प्राप्त हों।"

परन्तु यह कि पशुओं पर प्रयोग में शामिल न होने वाले प्रतिस्थानी विकल्पों पर सम्यक और संपूर्ण विचार किया जाना चाहिए और विकल्पों के उपयोग न किए जाने, भले ही उपलब्ध हों, उचित न्यायोचित्य दिया जाना चाहिए,

(2) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ग ग) (i) प्रयोगात्मक पशुओं का उपयोग करने वाले कार्मिक, पशुओं पर प्रयोगों के दौरान उनके कल्याण के लिए उत्तरदायी होंगे,

(ii) प्रयोग के पश्चात् पशु की देखभाल और पुनर्वास के लिए अन्वेषणकर्ता जिम्मेवार होगा, खण्ड (च च) में परिभाषित स्थिति के सिवाय पशु को सुखमृत्यु नहीं देगा,

(iii) प्रयोग के पश्चात् पशु की देखभाल और पुनर्वास की लागत को अनुसंधान लागत का भाग बनाया जाएगा और इसे पशुओं की देखभाल और पुनर्वास में शामिल लागत के स्तर के सकारात्मक सहसंबंध से मापा जाएगा,

(iv) प्रयोग के पश्चात् पशुओं के पुनर्वास, उपचार उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक की पशु अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए जिसके लिए पशु के पुनर्वास और देखभाल के लिए लागत के रूप में एक मुश्त राशि दी जाएगी जिससे कि इसका समस्त सांख्यिकीय आशान्वित जीवन अवधि को इसके अंतर्गत लाया जा सके, और

(v) प्रयोग करने वाले स्थापन अथवा समिति के नियंत्रणाधीन संभवतः अनुज्ञप्त और प्राधिकृत पशु कल्याण संगठन, एकमुश्त राशि के भुगतान पर, पशुओं के पुनर्वास का कार्य कर सकेगा।

(3) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(घ घ) सुखमृत्यु के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) जब पशु पक्षाघातग्रस्त हो और अपने नैसर्गिक कार्य करने में सक्षम न हो अथवा यह स्वतंत्र गमन में अक्षम हो जाए अथवा बोधगम्य रीति से पर्यावरण को महसूस न कर सकता हो, या
- (ii) यदि प्रयोगात्मक प्रक्रिया के पश्चात् पशु को बार-बार दर्द होता है जिसमें पशु दर्द और पीड़ा के स्पष्ट संकेत देता हो, या
- (iii) प्रयोगात्मक पशु को न मारा जाना मनुष्यों अथवा अन्य पशुओं के जीवन के लिए खतरा हो।"

4 उक्त नियम के नियम 10 में :-

(1) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

- "(ख)
- (i) कोई स्थापन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक से ही प्रयोग के लिए पशु प्राप्त करेगा;
 - (ii) रजिस्ट्रीकृत प्रजनक से पशु की उपलब्धता न होने की दशा में, वैकल्पिक वैध स्रोत से पशु प्राप्त किया जा सकता है,
 - (iii) वैकल्पिक वैध स्रोत से पशु प्राप्त करने की दशा में, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन सक्षम प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेने के पश्चात् ही प्राप्त किया जा सकता है, और
 - (iv) ऐसे पशु प्राप्त करने वाले स्थापन इस संबंध में एक अभिलेख रखेगा और जब कभी अपेक्षित हो, तो इसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ड.) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत प्रजनक से या देश में किसी अनुकल्पी वैध स्रोत से कोई पशु उपलब्ध नहीं है तो आनुवंशिकतः परिभाषित पशुओं का महानिदेशक, विदेश व्यापार की अनुज्ञा से आयात किया जा सकेगा;

परंतु देश के भीतर अनुपलब्धता की शर्त आनुवंशिकता प्रजनित चूहों मूषकों की प्रयोगशाला पर लागू नहीं होगी।

5 उक्त नियम के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"12 संविदा पशु प्रयोग :- पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) और इसके अधीन बनाए गए नियमों का रजिस्ट्रीकृत स्थापन किसी अन्य अभिकरणकी ओर से संविदा अनुसंधान कर सकते हैं।"

6 उक्त नियमों के नियम 14 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) यदि समिति का सदस्य सचिव की रिपोर्ट से या समिति के प्राधिकृत अधिकारी (जिसे किसी निरीक्षण या प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप या अन्यथा बनाया गया हो) की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो :-

- (i) इसके द्वारा बनाए गए नियमों का किसी स्थापन या प्रजनक द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा हो; या
- (ii) किसी स्थापन या प्रजनक द्वारा समिति के निदेशों का उल्लंघन किया गया हो और ऐसे उल्लंघनों को ठीक करने के लिए समिति के निदेशों का अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया हो, तो समिति लिखित आदेश द्वारा स्थापन या प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी और/या आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पशु गृह सुविधा को बंद करने के निदेश दे सकेगी:

परन्तु स्थापन या प्रजनक को इस संबंध में सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस खण्ड के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि गौण उल्लंघन की दशा में रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्द करने, या पशु गृह सुविधा को बंद करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ "गौण उल्लंघन" से लोप का कार्य या लोप अभिप्रेत है जिसका पशु के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप किसी पशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता या उसे दर्द या पीड़ा या उसकी मृत्यु नहीं होती है।

[फा. सं. 25/04/2005-ए.डब्ल्यू.डी.]

सौम्या टी. दवे, सदस्य-सचिव,
(पशुओं पर प्रयोगों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी समिति)

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, में संख्या का. आ. 1074 तारीख 15 दिसम्बर, 1998 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्या का. आ. 134(अ) तारीख 15 फरवरी, 2001 के अधीन संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2006

S. O. 42(E).— The following draft of the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Amendment Rules, 2005, which the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-sections(1), (1A) and (2) of section 17 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may, within the period so specified, forward the same for consideration of the said Committee, addressed to the Member Secretary, Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals, Animal Welfare Division, Ministry of Environment and Forests, 8th Floor, Jeevan Prakash Building, 25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Amendment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

100 GI/06-2

(e) "Experiment" means any programme or project involving use of animal for the acquisition of knowledge of a biological, physiological, ethological, physical or chemical nature; and includes the use of animal in the production of reagents and products such as antigens and antibodies, routine diagnostics, testing activity and establishment of transgenic stocks, for the purpose of saving or prolonging life or alleviating suffering or significant gains in well being for people of the country or for combating any disease whether of human beings or animals ;

3. In rule 9 of the said rules, -

(1) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb) animals lowest on the phylogenetic scale which may give scientifically valid results should be first considered for any experimental procedure and the experiment should be designed using minimum number of animals to give statistically valid results at 95% degree of confidence:

Provided that replacement alternatives not involving experiments on animals should be given due and full consideration and sound justification must be provided in case alternatives, though available, are not used;" ;

(2) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:

"(cc) (i) personnel using experimental animals shall be responsible for the welfare of animal during their use in experiments;

(ii) investigators shall be responsible for the aftercare and rehabilitation of animal after experimentation, and shall not euthanise animals except in situations as defined in clause (ff);

(iii) costs of aftercare and rehabilitation of animal after experimentation shall be made part of research costs and shall be scaled in positive correlation with the level of costs involved in such aftercare and rehabilitation of the animals;

(iv) rehabilitation treatment of animals after experimentation shall extend till the point the animal is able to resume a normal existence by providing a lump-sum amount as costs for rehabilitation and care of such animal to cover its entire statistical expected life span; and

(v) the establishment undertaking experiments or duly licensed and authorised animal welfare organization under the control of the Committee may, on payment of lump-sum amount, undertake rehabilitation of animals;”;

(3) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ff) the following parameters shall be adopted for application of euthanasia, namely:-

(i) when the animal is paralyzed and is not able to perform its natural functions or it becomes incapable of independent locomotion or it can no longer perceive the environment in an intelligible manner; or

(ii) if during the course of experimental procedure the animal has been left with a recurring pain wherein the animal exhibits obvious signs of pain and suffering; or

(iii) where the non-termination of the life of the experimental animal will be life threatening to human beings or other animals;”.

4. In rule 10 of the said rules, -

(1) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) (i) an establishment shall acquire animal for experiments from registered breeders only;

(ii) in case of non-availability of animal from registered breeders, the animal may be procured from alternate legal sources;

(iii) in case the animal is procured from the alternate legal sources, the same shall be procured after taking written permission from the authority competent under the law for the time being in force, to give such permission; and

(iv) the establishment procuring such animal shall maintain a record in this regard and shall produce the same before the Committee, whenever required;” ;

(2) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

“(e) In case an animal is not available from a registered breeder or from alternate legal sources within the country, genetically defined animals may be imported with permission of Directorate General of Foreign Trade: Provided that the condition of non-availability within the country shall not apply for laboratory bred rats and mice of genetically defined strains;”.

5. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“12. Contract animal experiments. - Registered establishments may undertake contract research on behalf of any other agency in accordance with the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) and the rules made thereunder.”.

6. In rule 14 of the said rules, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) The Committee, if it is satisfied with the report of the Member-Secretary or the authorized officer of the Committee (made to it as a result of any inspection or information received or otherwise) that -

(i) the rules made by it are not being complied with by an establishment or breeder; or

(ii) a violation of the directions of the Committee has been committed by any establishment or breeder and the Committee’s directions to rectify such violation have not been complied within the period so specified,

the Committee may, by order in writing, suspend or revoke the registration of the establishment or breeder and/or direct closure of the animal house facility for such a period as may be specified in the order:

Provided that no order under this clause shall be made without giving the establishment or breeder any opportunity of being heard in the matter:

Provided further that no order for suspension or revocation of registration, or closure or animal house facility shall be issued in a case of minor violation.

Explanation:- for the purposes of this clause, "minor violation" means an act of commission or omission which does not have direct bearing on the health of an animal which may not lead to adverse health effect or pain or suffering or death of an animal."

[F. No. 25/04/2005-AWD]
SOMYA T. DAVE, Member-Secy.
(Committee for the Purpose of Control
and Supervision of Experiments on Animals)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1074 dated 15th December, 1998 and subsequently amended *vide* number S.O. 134(E) dated 15th February, 2001.

100 GE/06-3